भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 495
उत्तर देने की तारीख 17 सितम्बर, 2020

नि:शुल्क इंटरनेट सुविधा प्रदान करने की योजना

495. श्री सतीश चंद्र दुबे:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में बड़ी संख्या में लोग नि:शुल्क इंटरनेट सुविधा का उपयोग करने में असमर्थ हैं और वे ऑनलाइन नहीं आ पाते हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या सरकार विशेषकर उन लोगों को नि:शुल्क इंटरनेट सुविधा प्रदान करने का विचार कर रही है जो इसका वहन करने में असमर्थ हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के विभिन्न भागों, विशेषकर बिहार में इसे कब तक लागू किया जाएगा?

उत्तर

संचार, शिक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री
(श्री संजय धोत्रे)

(क) से (घ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दिनांक 19.12.2016 को "नि:शुल्क डाटा उपलब्ध कराते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में डाटा उपयोग को प्रोत्साहित करना" विषय पर दूरसंचार विभाग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।

ये सिफारिशें "फ्री डाटा" पर परामर्श पत्र के निष्कर्ष के रूप में हैं जिसे उपभोक्ताओं को नि:शुल्क इंटरनेट अभिगम प्रदान करने और उस मॉडल का पता लगाने के लिए जिससे ट्राई की "डाटा सेवाओं के लिए भेदभावपूर्ण शुल्कों पर रोक विनियामक 2016" का उल्लंघन किए बिना "फ्री डाटा" के प्रस्ताव के लाभों को प्राप्त किया जा सके जैसे मुद्दे का समाधान करने के लिए दिनांक 19.05.2016 को ट्राई द्वारा अपनी ओर से (स्वत: संज्ञान लेते हुए) जारी किया गया था।

(1) ग्रामीण क्षेत्रो में रह रहे व्यक्तियों के लिए वहनीय अंतराल को भरने और डिजिटल साधनों द्वारा नकदी रहित अर्थव्यवस्था के लिए सरकार के प्रयासों में सहायता प्रदान करने हेतु, प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि एक ऐसी स्कीम बनाई जाए जिसके अंतर्गत उचित मात्रा में डाटा जैसे 100 एमबी प्रति माह ग्रामीण उपभोक्ताओं को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा सकता है।

जारी.....2/

(2) स्कीम के कार्यान्वयन की लागत को यूएसओएफ से पूरा किया जाए।

(3) फ्री डाटा को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य कंपनियों की भागीदारी को बढ़ाने हेतु, स्कीम को सुकर बनाने के लिए तृतीय पक्ष (एग्रीगेटर) को लाने की आवश्यकता है जो टीएसपी तटस्थ हो और जिसका कार्यान्वयन गैर-भेदभावपूर्ण हों।

(4) फ्री डाटा के लिए स्कीम को टीएसपी-तटस्थ होना चाहिए, टीएसपी और एग्रीगेटर/सामग्री प्रदाता के बीच किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और इसे दिनांक 08 फरवरी, 2016 को अधिसूचित "डाटा सेवाओं के लिए भेदभावपूर्ण शुल्कों पर रोक विनियम" में गतिरोध उत्पन्न करने के लिए तैयार नहीं किया जाना चाहिए।

(5) निम्नलिखित प्रक्रिया की सिफारिश की गई है:

- एग्रीगेटर को दूरसंचार विभाग के साथ पंजीकृत होना होगा।
- पंजीकरण की इच्छुक कंपनियों को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी होना चाहिए।
- पंजीकरण की वैधता अवधि 5 वर्ष की होगी।
- ऐसी कंपनियां, तृतीय पक्ष को किसी भी प्रकार से पंजीकरण के सम्पूर्ण अथवा कुछ भाग को न तो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, नियुक्त अथवा स्थानांतरित नहीं कर सकती।
- सिफारिशों की तत्कालीन दूरसंचार आयोग द्वारा दिनांक 8.9.2017 को आयोजित अपनी बैठक में जांच की गई थी और दिनांक 25.9.2017 के दूरसंचार विभाग के पत्र द्वारा स्पष्टीकरण/पुन: विचार के लिए ट्राई को वापिस भेज दिया था। ट्राई ने दिनांक 29.11.2017 को दूरसंचार विभाग को उपर्युक्त संदर्भ पर अपनी प्रतिक्रिया भेज दी थी।

सरकार ने ट्राई की प्रतिक्रिया पर विचार किया और निम्नलिखित कारणों से ट्राई की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया:

i. ट्राई की सिफारिश संख्या 1 एवं 2: वहनीय डाटा सेवाओं की उपलब्धता से संबंधित चिंताओं को बाज़ार में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से कम किया गया है। इसलिए, देश में इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए, वहनीयता की बजाए कनेक्टिविटी, स्थानीय भाषा में सामग्री की उपलब्धता और डिजिटल साक्षरता पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

ii. ट्राई की सिफारिश संख्या 3, 4 एवं 5: एग्रीगेटर मॉडल का लक्ष्य इंटरनेट के उन मौजूदा उपयोगकर्ताओं की ओर है जो डाटा सेवाओ के मूल्यों के कारण डाटा का सीमित उपयोग करते हैं। वहनीयता के मुद्दे को बाज़ार में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से कम किया गया है।

इसके अलावा, अर्थव्यवस्था के कई अन्य क्षेत्रों में वेबसाइट/पोर्टेल/एप्प (समरूप से एग्रीगेटर) के माध्यम से छूट प्रदान करने के ऐसे मॉडल वर्तमान में प्रचलित हैं जहां उपभोक्ताओं को वेबसाइटों/पोर्टेलों/एप्प के माध्यम से लेन-देन पर छूट प्रदान की जाती है। वर्तमान में, ऐसी वेबसाइटों/पोर्टेलों/एप्पस को विनियमित करने के लिए कोई प्रत्यक्ष सरकारी उपाय नहीं है। इसलिए, पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से एग्रीगेटरों को विनियमित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

*****